

10/10/19

पत्रावली पेश। प्रार्थी का ज-प वास्ते नोटिस
 अर्थात् तलवी दिनांक 2/9/15 से लम्बित हैं।
 मूल वाद अंतर्गत आदेश व नियम 23 के तहत खारिज
 हो चुका है। उक्त पत्रावली में भी प्रार्थी की वकील
 आदेशित किया गया था कि वे प्रार्थी को नोटिस
 जरिये एन. A.D. में व रसीदें पेश करें। परंतु
 रसीदें पेश नहीं। अतः चूंकि मूल वाद को खारिज
 किया जा चुका है अतः प्रार्थी का ज-प. प्रभावहीन
 हो जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली शुभ्रा
 फैल हो उस वक्तर ले उम होउर तउमील दारिखल
 मूल पत्रावली हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
 जोधपुर